



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072026-273987  
CG-DL-E-02072026-273987

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 483]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2026/आषाढ 10, 1948

No. 483]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ASHADHA 10, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2026

सा.का.नि. 541(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989, जिनमें केंद्र सरकार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, में और अधिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित प्रारूप नियमों को इस अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिस तारीख से सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

उपरोक्त अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली किन्हीं आक्षेपों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

3. इन प्रारूप नियमों के प्रति आक्षेप एवं सुझाव, यदि कोई हो, को अपर सचिव (एमवीएल, परिवहन और सड़क सुरक्षा), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 के पास या ईमेल: [comments-morth@gov.in](mailto:comments-morth@gov.in) पर भेजे जा सकते हैं।

### प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (.....संशोधन) नियमावली, 2026 है।  
 (2) इन नियमों में अन्यथा प्रावधान न होने पर ये नियम आधिकारिक राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित में नियम 47 के उप-नियम (1) के मद (v) में उप-मद (ढ) के पश्चात् निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“(ण) 1 जुलाई 2026 को और उसके पश्चात्, प्रत्येक मूल उपकरण निर्माता जो श्रेणी एम2 और एम3 के चेसिस/अधूरे निर्मित वाहनों का विनिर्माण करता है, जिसमें चालक को छोड़कर 13 या अधिक यात्रियों की बैठने की क्षमता होती है, उसे प्रपत्र (फॉर्म) 20-ग के अनुसार विधिवत अधिकृत पूर्व-प्रेषण जांच सूची अतिरिक्त रूप से प्रस्तुत करनी होगी।

(त) 1 जुलाई 2026 को या उसके पश्चात्, प्रत्येक बस बॉडी निर्माता जो श्रेणी एम2 और एम3 के चेसिस/अधूरे निर्मित वाहनों पर 13 या अधिक यात्रियों (चालक को छोड़कर) की बैठने की क्षमता वाली बसें बनाता है, जिसका निर्माण मूल उपकरण निर्माता करता है, उसे फॉर्म 20-घ के अनुसार विधिवत अधिकृत पूर्व-प्रेषण जांच सूची प्रस्तुत करनी होगी।

(थ) उप-मद (ण) और (त) के प्रयोजनों के लिए, चेसिस और बस बॉडी के स्तर पर प्रत्येक महत्वपूर्ण सुरक्षा घटक को मूल उपकरण निर्माता और मान्यता प्राप्त बस बॉडी निर्माता द्वारा, जैसा भी मामला हो, टेम्पलेट-आधारित वीडियो के माध्यम से, लागू मानकों में यथानिर्धारित तरीके से प्रमाणित किया जाएगा।

3. उक्त नियमों में, नियम 48-ख में, प्रथम परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित जाएगा, अर्थात्:

“इसके अतिरिक्त, यह भी प्रावधान है कि 1 जुलाई 2026 को या उसके पश्चात्, श्रेणी एम2 और एम3 के उन वाहनों के पंजीकरण के उद्देश्य से, जिनमें चालक को छोड़कर 13 या अधिक यात्रियों के बैठने की क्षमता हो, इस नियम में उल्लिखित निरीक्षण के समय, परिवहन विभाग में आरटीओ या उसका अधिकृत निरीक्षण अधिकारी प्रपत्र 20-ड. के अनुसार विधिवत रूप से जांच सूची भरेगा।”

[फा. सं. आरटी-11036/163/2025-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा.का.नि. 590(अ), दिनांक 2 जून, 1989 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार साकानि .....(अ) दिनांक ..... द्वारा संशोधित किए गए थे।

फॉर्म सं.: 20-ग

(संदर्भ- नियम 47)

मूल उपकरण निर्माताओं (बस चेसिस) के लिए पूर्व-प्रेषण जांच-सूची

एमवी अधिनियम, 1988 और सीएमवीआर, 1989 के अनुसार ओईएम द्वारा बस चेसिस के सत्यापन के लिए व्यापक दिशानिर्देश।

ओईएम :

राज्य:

इंजन/कर्षण बैटरी की स्थिति:

दिनांक:

चेसिस का प्रकार:

चेसिस सं.:

जैसा कि उल्लेख किया गया है, बस सुरक्षा अनुपालन को सत्यापित करने के लिए जांच-सूची

1.0	सामान्य जानकारी	
1.1	ओईएम के पंजीकृत कार्यालय का नाम और पता	
1.2	मान्यता प्रमाण पत्र सं. और ओईएम की वैधता	
1.3	ओईएम विनिर्माण सुविधा का स्थल	
1.4	प्रकार का अनुमोदन प्रमाण पत्र सं.	
1.5	इंजन विनिर्माता	
1.6	इंजन सं.	
1.8	व्हील बेस	

2.0	सत्यापन के लिए मद	संदर्भ:	अनुपालन (हां/नहीं)	टिप्पणी, यदि कोई हो:
2.1	चेसिस के आयाम निर्दिष्ट करें: लंबाई× चौड़ाई×ऊंचाई (मीटर में) (क्या ओईएम द्वारा चेसिस में कोई परिवर्तन किया गया है)	सीएमवीआर, 1989 का नियम 93		
2.2	प्रकाश और सिगनल उपकरण i) हेड लैंप ii) टेल लैंप iii) पार्किंग लैंप	सीएमवीआर, 1989 का नियम 102		

2.0	सत्यापन के लिए मद	संदर्भ:	अनुपालन (हां/नहीं)	टिप्पणी, यदि कोई हो:
	iv) रिवर्स लैंप v) साइड इंडिकेटर vi) रेट्रो-रिफ्लेक्टर और रिफ्लेक्टिव टेप (यदि कोई अतिरिक्त लैंप लगाया गया है, तो उसका विवरण)			
2.3	एआईएस-052 (संशोधित 1) के अनुसार चेसिस का वैध प्रकार अनुमोदन	सीएमवीआर, 1989 का नियम 125-ग		
3.0	निरीक्षण की आवश्यकता			
3.1	इलेक्ट्रॉनिक वाहन स्थिरता नियंत्रण प्रणाली (ईवीएससी)	एआईएस:150		
3.2	इंड्योरेंस ब्रेक फिटमेंट (रिटार्डर)	आईएस 11852:2013		
3.3	अग्नि संसूचन (डिटेक्शन) अलार्म (एफडीएस) और अग्निशमन प्रणाली (एफडीएसएस)	एआईएस:135 एआईएस:153		
3.4	यात्री डिब्बे में अग्नि अलार्म और सुरक्षा प्रणाली (एफएस/एफपीएस) (श्रेणी एम3 की टाइप III बसों और स्कूल बसों पर लागू)	एआईएस:135		
3.5	मल्टीप्लेक्सिंग/इलेक्ट्रॉनिक आर्किटेक्चर	एआईएस:153		
3.6	क्या चेसिस में वातानुकूलित प्रणाली लगाया।			

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त चेसिस का निर्माण सीएमवीआर, 1989 और लागू एआईएस मानकों के संदर्भ में किया गया है; और उपरोक्त प्रावधानों को सत्यापित किया गया है

दर्ज किए गए अनुसार अनुपालन  / गैर- अनुपालन

चेसिस निर्माता/ओईएम के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम:.....

पदनाम .....

हस्ताक्षर .....

प्रपत्र संख्या: 20-घ

(संदर्भ - नियम 47)

बस बॉडी निर्माताओं (बिल्डर्स) के लिए सौंपने से पहले की जाँच सूची

मोटर यान अधिनियम, 1988 और सीएमवीआर, 1989 के अनुसार, ग्राहक को बसें सौंपने से पहले बॉडी निर्माता द्वारा बसों के सत्यापन के लिए व्यापक दिशानिर्देश।

बॉडी निर्माता का नाम:

तारीख:

चेसिस निर्माण:

राज्य:

अस्थायी पंजीकरण संख्या:

चेसिस संख्या:

बस सुरक्षा अनुपालन को सत्यापित करने के लिए जाँच सूची:

1.	सामान्य जानकारी	
1.1	बस बॉडी निर्माता/ओईएम के पंजीकृत कार्यालय का नाम और पता	
1.2	बॉडी निर्माता का मान्यता प्रमाण पत्र क्रमांक और वैधता	
1.3	बॉडी निर्माता सुविधा का स्थान	
1.4	एनओसी विवरण (पुराने चेसिस और पुनर्निर्माण के लिए लागू)	
1.5	टाइप अनुमोदन प्रमाणपत्र संख्या और तारीख	
1.6	टाइप अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुसार वेरिएंट नंबर और वेरिएंट नाम	

	सत्यापन के लिए मद	संदर्भ	अनुपालन (हां /नहीं)	टिप्पणी यदि कोई हो:
2.1	बस का आयाम - लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई (मीटर में) में निर्दिष्ट करें (क्या ओईएम द्वारा चेसिस में कोई परिवर्तन किया गया है?)	सीएमवीआर, 1989 का नियम 93		
2.2	प्रकाश एवं संकेतक उपकरण i) हेडलैंप ii) टेल लैंच iii) पार्किंग लैंप iv) रिवर्स लैंप v) साइड इंडिकेटर vi) रेट्रो-रिफ्लेक्टर और रिफ्लेक्टिव टेप (यदि कोई अन्य अतिरिक्त लैंप लगाया गया हो, तो उसका विवरण दें)	सीएमवीआर, 1989 का नियम 102		

	सत्यापन के लिए मद	संदर्भ	अनुपालन (हां/नहीं)	टिप्पणी यदि कोई हो:		
2.3	क्या परीक्षण एजेंसी द्वारा नक्शा ड्राइंग को मंजूरी मिल गई है?	सीएमवीआर, 1989 का नियम 125-ग				
<b>3.</b>	<b>दस्तावेज़/ड्राइंग/जांच</b>					
3.1	चालक की सीट के पास एक अग्निशामक यंत्र उपलब्ध कराया गया है और वह उपयोग करने योग्य पाया गया है। (न्यूनतम 4 किलोग्राम) (सिलेंडर की वैधता और उपयुक्तता की जांच करें)	सा.का.नि. 895 (अ) दिनांक 20.09.2016				
3.2	यात्री डिब्बे में एक अग्निशामक यंत्र उपलब्ध कराया गया था और वह उपयोग करने योग्य पाया गया। (न्यूनतम 6 कि.ग्रा.) (सिलेंडर की वैधता और उपयुक्तता की जांच करें)	सा.का.नि. 895 (अ) दिनांक 20.09.2016				
3.3	अग्नि संसूचन एवं अलार्म प्रणाली (एफडीएस) चालू पाई गई। <b>निर्दिष्ट करें:</b>	सा.का.नि. 337 (अ) दिनांक 28.03.2019				
	<table border="1"> <tr> <td>चेसिस में सुसज्जित</td> <td>चेसिस के साथ उपलब्ध कराया जाता है, परंतु इसे निर्माता द्वारा संस्थापित किया जाता है।</td> <td>चेसिस के साथ प्रदान नहीं किया जाता है और बॉडी निर्माताओं द्वारा फिट किया जाता है।</td> </tr> </table>	चेसिस में सुसज्जित	चेसिस के साथ उपलब्ध कराया जाता है, परंतु इसे निर्माता द्वारा संस्थापित किया जाता है।	चेसिस के साथ प्रदान नहीं किया जाता है और बॉडी निर्माताओं द्वारा फिट किया जाता है।		
चेसिस में सुसज्जित	चेसिस के साथ उपलब्ध कराया जाता है, परंतु इसे निर्माता द्वारा संस्थापित किया जाता है।	चेसिस के साथ प्रदान नहीं किया जाता है और बॉडी निर्माताओं द्वारा फिट किया जाता है।				
3.4	अग्नि संसूचन एवं शमन प्रणाली (एफडीएस) प्रदान की गई और चालू पाई गई, जहां भी लागू हो (यदि नहीं, तो बस के प्रकार के अनुसार आवश्यकता की जांच करें)। <b>निर्दिष्ट करें:</b>	सा.का.नि.337 (अ) दिनांक 28.03.2019				
	<table border="1"> <tr> <td>चेसिस में सुसज्जित</td> <td>चेसिस के साथ उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन इसे निर्माता द्वारा संस्थापित किया जाता है।</td> <td>चेसिस के साथ प्रदान नहीं किया जाता है और बॉडी निर्माता द्वारा फिट किया जाता है।</td> </tr> </table>	चेसिस में सुसज्जित	चेसिस के साथ उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन इसे निर्माता द्वारा संस्थापित किया जाता है।	चेसिस के साथ प्रदान नहीं किया जाता है और बॉडी निर्माता द्वारा फिट किया जाता है।		
चेसिस में सुसज्जित	चेसिस के साथ उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन इसे निर्माता द्वारा संस्थापित किया जाता है।	चेसिस के साथ प्रदान नहीं किया जाता है और बॉडी निर्माता द्वारा फिट किया जाता है।				
3.5	यात्री डिब्बे में अग्नि अलार्म प्रणाली और यात्री डिब्बे में अग्नि सुरक्षा प्रणाली (यदि नहीं, तो बस के प्रकार के अनुसार आवश्यकता की जांच करें)					
3.6	यात्री डिब्बे में अग्नि अलार्म सुनाई और दिखाई देता है।	सा.का.नि. 337 (अ) दिनांक 28.03.2019				

	सत्यापन के लिए मद	संदर्भ	अनुपालन (हां/नहीं)	टिप्पणी यदि कोई हो:														
3.7	<p>आपातकालीन निकास द्वारों की न्यूनतम संख्या (संख्या निर्दिष्ट करें)</p> <p>जानकारी के लिए:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>बस का प्रकार</th> <th>आपातकालीन निकासों की न्यूनतम संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>मिनी और मिडी क्षमता बस</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>मानक और उच्च क्षमता वाली बस</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>स्लीपर बस (लंबाई &lt; 12 मीटर)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>स्लीपर बस (लंबाई &gt; 12 मीटर)</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	बस का प्रकार	आपातकालीन निकासों की न्यूनतम संख्या	मिनी और मिडी क्षमता बस	1	मानक और उच्च क्षमता वाली बस	2	स्लीपर बस (लंबाई < 12 मीटर)	4	स्लीपर बस (लंबाई > 12 मीटर)	5	<p>सा.का.नि. 287 (अ) दिनांक 22.04.2014 और सा.का.नि. 895 (अ) दिनांक 20.09.2016</p>						
बस का प्रकार	आपातकालीन निकासों की न्यूनतम संख्या																	
मिनी और मिडी क्षमता बस	1																	
मानक और उच्च क्षमता वाली बस	2																	
स्लीपर बस (लंबाई < 12 मीटर)	4																	
स्लीपर बस (लंबाई > 12 मीटर)	5																	
3.8	<p>बिना किसी बाधा के आपातकालीन निकास के आयाम निर्दिष्ट करें:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>निकासों की संख्या</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>आकार (चौड़ाई x ऊंचाई)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	निकासों की संख्या				आकार (चौड़ाई x ऊंचाई)												
निकासों की संख्या																		
आकार (चौड़ाई x ऊंचाई)																		
3.9	<p>क्या बस के आपातकालीन निकास द्वार को अंदर से या बाहर से संचालित किया जा सकता है?</p>																	
3.10	<p>प्रत्येक बर्थ पर आपातकालीन हथौड़ा उपलब्ध कराया जाएगा और वह आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। निर्दिष्ट करें:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>निकासों की संख्या</td> <td></td> </tr> <tr> <td>हथौड़ों की संख्या</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	निकासों की संख्या		हथौड़ों की संख्या		<p>सा.का.नि. 287(अ) दिनांक 22.04.2014</p>												
निकासों की संख्या																		
हथौड़ों की संख्या																		
3.11	<p>आपातकालीन निकास द्वार की व्यवस्था तालिका के अनुसार निर्दिष्ट करें:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>न्यूनतम निकास द्वारों की संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>टाइप II और टाइप III बसें</b></td> </tr> <tr> <td>बैठने की क्षमता - 23 से 30 यात्री</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>बैठने की क्षमता - 30 से अधिक यात्री</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>स्लीपर बसें</b></td> </tr> <tr> <td>स्लीपर बस (लंबाई &lt; 12 मीटर)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>स्लीपर बस (लंबाई &gt; 12 मीटर)</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		न्यूनतम निकास द्वारों की संख्या	<b>टाइप II और टाइप III बसें</b>		बैठने की क्षमता - 23 से 30 यात्री	1	बैठने की क्षमता - 30 से अधिक यात्री	2	<b>स्लीपर बसें</b>		स्लीपर बस (लंबाई < 12 मीटर)	2	स्लीपर बस (लंबाई > 12 मीटर)	3	<p>सा.का.नि. 287 (अ) दिनांक 22.04.2014 और सा.का.नि. 895 (अ) दिनांक 20.09.2016</p>		
	न्यूनतम निकास द्वारों की संख्या																	
<b>टाइप II और टाइप III बसें</b>																		
बैठने की क्षमता - 23 से 30 यात्री	1																	
बैठने की क्षमता - 30 से अधिक यात्री	2																	
<b>स्लीपर बसें</b>																		
स्लीपर बस (लंबाई < 12 मीटर)	2																	
स्लीपर बस (लंबाई > 12 मीटर)	3																	
3.12	<p>यह स्पष्ट करें कि क्या आपातकालीन निकास द्वार सुलभ हैं और क्या उन्हें खोलने के लिए निर्देश दिए गए हैं।</p>																	

	सत्यापन के लिए मद्द	संदर्भ	अनुपालन (हां/नहीं)	टिप्पणी यदि कोई हो:																								
3.13	<p>लागू एआईएस प्रावधानों के अनुसार आपातकालीन द्वार उपलब्ध कराया गया है। (ऑडियो और विजुअल अलर्ट सेंसर सहित)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">सर्विस (सेवा) द्वार का स्थान</th> <th colspan="4">आपातकालीन द्वार का स्थान #</th> </tr> <tr> <th>सामने का आधा भाग</th> <th>मध्य</th> <th>पिछला आधा भाग</th> <th>पिछला भाग</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सामने का आधा भाग</td> <td></td> <td>ü</td> <td>ü</td> <td>ü*</td> </tr> <tr> <td>मध्य</td> <td>ü</td> <td>ü</td> <td>ü</td> <td>ü*</td> </tr> <tr> <td>पिछला आधा भाग</td> <td>ü</td> <td>ü</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p># यदि बस के एक तरफ सर्विस डोर दिया गया है, तो आपातकालीन दरवाजा उसके विपरीत दिशा में होना चाहिए। * फ्रंट इंजन और इलेक्ट्रिक बसों पर लागू * रियर इंजन बसों के मामले में निषिद्ध स्लीपर बसों के मामले में आपातकालीन दरवाजा गलियारे के साथ होना चाहिए।</p>	सर्विस (सेवा) द्वार का स्थान	आपातकालीन द्वार का स्थान #				सामने का आधा भाग	मध्य	पिछला आधा भाग	पिछला भाग	सामने का आधा भाग		ü	ü	ü*	मध्य	ü	ü	ü	ü*	पिछला आधा भाग	ü	ü			<p>सा.का.नि. 287 (अ) दिनांक 22.04.2014 और सा.का.नि 895 (अ) दिनांक 20.09.2016</p>		
सर्विस (सेवा) द्वार का स्थान	आपातकालीन द्वार का स्थान #																											
	सामने का आधा भाग	मध्य	पिछला आधा भाग	पिछला भाग																								
सामने का आधा भाग		ü	ü	ü*																								
मध्य	ü	ü	ü	ü*																								
पिछला आधा भाग	ü	ü																										
3.14	<p>आपातकालीन द्वार के आयाम: निर्दिष्ट करें:</p> <table border="1"> <tr> <td>चौड़ाई</td> <td>x</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ऊंचाई</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	चौड़ाई	x		ऊंचाई			<p>सा.का.नि. 287 (अ) दिनांक 22.04.2014 और एआईएस-153</p>																				
चौड़ाई	x																											
ऊंचाई																												
3.15	<p>क्या आपातकालीन द्वार और निकास द्वार तक पहुंच अबाधित है/ क्या कोई संरचना पहुंच या संचालन को बाधित कर रही है?</p>	<p>सा.का.नि. 287 (अ) दिनांक 22.04.2014</p>																										

	सत्यापन के लिए मद	संदर्भ	अनुपालन (हां/नहीं)	टिप्पणी यदि कोई हो:																												
3.16	<p>लेआउट के अनुसार और बिना किसी बाधा के गलियारे की चौड़ाई का सत्यापन किया गया है। निर्दिष्ट करें:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>गलियारा (गैंगवे)</th> <th>निचला सिलेंडर</th> <th>ऊपरी सिलेंडर</th> <th>ऊंचाई</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>मिनी मिडी (नॉन-स्टैंडी)</td> <td>300</td> <td>450</td> <td>1500</td> </tr> <tr> <td>मिनी मिडी (स्टैंडी)</td> <td>350</td> <td rowspan="2">550</td> <td>1750</td> </tr> <tr> <td>टाइप I</td> <td>450</td> <td rowspan="3">1900</td> </tr> <tr> <td>टाइप II</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>टाइप III</td> <td>300</td> <td>450</td> </tr> <tr> <td>स्लीपर बस</td> <td colspan="2">550</td> <td></td> </tr> <tr> <td>स्कूल बस</td> <td colspan="3">टाइप I / II / III में से कोई भी</td> </tr> </tbody> </table>	गलियारा (गैंगवे)	निचला सिलेंडर	ऊपरी सिलेंडर	ऊंचाई	मिनी मिडी (नॉन-स्टैंडी)	300	450	1500	मिनी मिडी (स्टैंडी)	350	550	1750	टाइप I	450	1900	टाइप II	350	टाइप III	300	450	स्लीपर बस	550			स्कूल बस	टाइप I / II / III में से कोई भी			सा.का.नि. 287 (अ) दिनांक 22.04.2014 और एआईएस-119 (संशोधन 1): 2016		
गलियारा (गैंगवे)	निचला सिलेंडर	ऊपरी सिलेंडर	ऊंचाई																													
मिनी मिडी (नॉन-स्टैंडी)	300	450	1500																													
मिनी मिडी (स्टैंडी)	350	550	1750																													
टाइप I	450		1900																													
टाइप II	350																															
टाइप III	300	450																														
स्लीपर बस	550																															
स्कूल बस	टाइप I / II / III में से कोई भी																															
3.17	<p>आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था की गई थी और वह कार्यशील पाई गई। (विजली गुल होने के बाद लगभग 30 मिनट I)</p>																															
3.18	<p>स्लीपर बसों के मामले में गलियारे के किनारों पर फ्लोरोसेंट टेप से निशान लगाए गए हैं – हाँ / नहीं</p>																															
3.19	<p>स्लीपर बसों में ड्राइवर के कार्यक्षेत्र और यात्री डिब्बे के बीच कोई विभाजन नहीं होना चाहिए – हाँ / नहीं</p>																															
3.20	<p>सीटों के पास और निकास द्वारों पर पैनिक बटन उपलब्ध कराए गए हैं – हाँ / नहीं</p>																															
3.21	<p>क्या रूफ लगेज कैरियर मौजूद है/नहीं है?</p>	सा.क.नि. 287 (अ) दिनांक 22.04.2014																														
3.22	<p>मल्टीप्लेक्सिंग/इलेक्ट्रॉनिक बनावट (फ्यूज़ और रिसे से सुसज्जित विद्युत तार)</p>	सा.का.नि. 287 (अ) दिनांक 22.04.2014																														
3.23	<p>वाहन में एसी, टाइप अनुमोदन लेआउट के अनुसार या निर्माण के दौरान अतिरिक्त रूप से लगाया गया हो। (यदि हां, तो लगाने का स्थान बताएं) निर्दिष्ट करें:</p>	सा.का.नि. 287 (अ) दिनांक 22.04.2014																														
3.24	<p>वाहन के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए चालक की दृष्टि अबाधित है।</p>	सा.का.नि. 287 (अ)																														

	सत्यापन के लिए मद	संदर्भ	अनुपालन (हां /नहीं)	टिप्पणी यदि कोई हो:
		दिनांक 22.04.2014		
3.25	बसों में प्रवेश/निकास और सामान ले जाने के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची			
3.26	उपलब्ध सीटों और बर्थों की संख्या  बैठने की क्षमता शयन की क्षमता लेआउट	सा.का.नि. 287 (अ) दिनांक 22.04.2014 और एआईएस-119 (संशोधन 1): 2016		

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वाहन का निरीक्षण सीएमवीआर, 1989 और लागू एआईएस मानकों के संदर्भ में किया गया है और ऊपर सत्यापित प्रावधान पाए गए हैं।

रिकॉर्ड के अनुसार अनुपालन  / गैर अनुपालन

बॉडी निर्माता के अधिकृत प्रतिनिधि का नाम:.....

पद नाम .....

हस्ताक्षर .....

प्रपत्र संख्या: 20-ड

(संदर्भ - नियम 48-ख)

एम2 और एम3 श्रेणी के वाहनों के लिए पूर्व-पंजीकरण जांच सूची

मोटर यान अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के अनुसार इंटरसिटी-शहरी/स्लीपर बसों के पूर्व-पंजीकरण और आवधिक फिटनेस निरीक्षण के दौरान आरटीओ द्वारा बसों के सत्यापन के लिए व्यापक दिशानिर्देश।

आरटीओ:

राज्य:

स्थान:

तिथि:

बस के प्रकार (II, III, IV):

बैठने/ शयन (स्लीपर) क्षमता:

बस सुरक्षा अनुपालन को सत्यापित करने के लिए जाँच सूची:

1	सामान्य जानकारी			
1.1	आवेदक/बस बॉडी निर्माताओं/ मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) के पंजीकृत कार्यालय का नाम और पता			
1.2	बॉडी निर्माताओं का प्रत्यायन प्रमाण पत्र संख्या और वैधता।			
1.3	बॉडी निर्माताओं की सुविधा का अवस्थान			
1.4	अनापत्ति प्रमाण पत्र विवरण (पुरानी बसों और पुनः पंजीकरण के लिए लागू)			
2	सत्यापन के लिए मर्दें	संदर्भ	अनुपालन (हां/नहीं)	टिप्पणी यदि कोई हो:
2.1	चेसिस विनिर्देशों के अनुसार बस का आयाम-लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई (मीटर में) विनिर्दिष्ट करें (क्या ओईएम द्वारा चेसिस में कोई परिवर्तन किया गया है?)	केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 का नियम 93		
2.2	प्रकाश एवं संकेत उपकरण i) हेडलैंप ii) टेल लैंप iii) पार्किंग लैंप iv) रिवर्स लैंप v) साइड इंडिकेटर vi) रेट्रो-रिफ्लेक्टर और रिफ्लेक्टिव टेप (यदि कोई अतिरिक्त लैंप लगाया गया है, तो उसका विवरण दें)	केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 का नियम 102		

2.3	क्या संरचना (ले-आउट) ड्राइंग की स्वीकृति प्राप्त हुई थी?	केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 का नियम 125-ग												
<b>3.</b>	<b>दस्तावेज़/ड्राइंग/जांच</b>													
3.1	चालक की सीट के पास एक अग्निशामक यंत्र उपलब्ध कराया गया है और वह उपयोग करने योग्य पाया गया है। (न्यूनतम 4 किलोग्राम) (सिलेंडर की वैधता और उपयुक्तता की जांच करें)	सा.का.नि 895 (अ) दिनांक 20.09.2016												
3.2	यात्री डिब्बे में एक अग्निशामक यंत्र उपलब्ध कराया गया था और वह उपयोग करने योग्य पाया गया। (न्यूनतम 6 किलो) (सिलेंडर की वैधता और उपयुक्तता की जांच करें)	सा.का.नि 895 (अ) दिनांक 20.09.2016												
3.3	अग्नि संसूचन एवं अलार्म प्रणाली (एफडीएस) क्रियाशील पाई गई।	सा.का.नि. 337 (अ) दिनांक 28.03.2019												
3.4	अग्नि संसूचन एवं शमन प्रणाली (एफडीएसएस) उपलब्ध हो और क्रियाशील पाई गई, जहां भी लागू हो (यदि नहीं, तो बस के प्रकार के अनुसार आवश्यकता की जांच करें)।	सा.का.नि. 337 (अ) दिनांक 28.03.2019												
3.5	यात्री डिब्बे में अग्नि अलार्म प्रणाली और यात्री डिब्बे में अग्नि सुरक्षा प्रणाली (यदि नहीं, तो बस के प्रकार के अनुसार आवश्यकता की जांच करें)													
3.5	यात्री कक्ष के अंदर अग्नि अलार्म श्रवणीय और दृश्यमान	सा.का.नि. 337 (अ) दिनांक 28.03.2019												
3.6	बस की लंबाई और प्रकार के अनुसार उपलब्ध आपातकालीन निकासों की न्यूनतम संख्या (संख्या विनिर्दिष्ट करें) सूचनार्थः	सा.का.नि 287 (अ) दिनांक 22.04.2014 एवं सा.का.नि 895 (अ) दिनांक 20.09.2016												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>बस के प्रकार</th> <th>आपातकालीन निकासों की न्यूनतम संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>मिनी और मिडी क्षमता बस</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>मानक और उच्च क्षमता वाली बस</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>स्लीपर बस (लंबाई &lt; 12 मीटर)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>स्लीपर बस (लंबाई &gt; 12 मीटर)</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	बस के प्रकार	आपातकालीन निकासों की न्यूनतम संख्या	मिनी और मिडी क्षमता बस	1	मानक और उच्च क्षमता वाली बस	2	स्लीपर बस (लंबाई < 12 मीटर)	4	स्लीपर बस (लंबाई > 12 मीटर)	5			
बस के प्रकार	आपातकालीन निकासों की न्यूनतम संख्या													
मिनी और मिडी क्षमता बस	1													
मानक और उच्च क्षमता वाली बस	2													
स्लीपर बस (लंबाई < 12 मीटर)	4													
स्लीपर बस (लंबाई > 12 मीटर)	5													

3.7	क्या आपातकालीन निकास द्वार बस के अंदर से या बाहर से संचालित किए जा सकते हैं?	सा.का.नि. 287 (अ)																										
3.8	प्रत्येक बर्थ पर आपातकालीन हथौड़ा उपलब्ध कराया जाना चाहिए और उसकी पहुंच सुगम्य हो	दिनांक 22.04.2014																										
3.9	कम से कम दो आपातकालीन निकास द्वार उपलब्ध कराए गए हैं और यह सुनिश्चित किया गया है कि वे कार्यशील हों। तालिका के अनुसार निर्दिष्ट करें:	सा.का.नि. 287 (अ) दिनांक 22.04.2014 एवं सा.का.नि. 895 (अ) दिनांक 20.09.2016																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>न्यूनतम निकास द्वारों की संख्या</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>टाइप II और टाइप III बसें</b></td> </tr> <tr> <td>बैठने की क्षमता - 23 से 30 यात्री</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>बैठने की क्षमता - 30 से अधिक यात्री</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>स्लीपर बसें</b></td> </tr> <tr> <td>स्लीपर बस (लंबाई &lt; 12 मीटर)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>स्लीपर बस (लंबाई &gt; 12 मीटर)</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>			न्यूनतम निकास द्वारों की संख्या	<b>टाइप II और टाइप III बसें</b>		बैठने की क्षमता - 23 से 30 यात्री	1	बैठने की क्षमता - 30 से अधिक यात्री	2	<b>स्लीपर बसें</b>		स्लीपर बस (लंबाई < 12 मीटर)	2	स्लीपर बस (लंबाई > 12 मीटर)	3													
	न्यूनतम निकास द्वारों की संख्या																											
<b>टाइप II और टाइप III बसें</b>																												
बैठने की क्षमता - 23 से 30 यात्री	1																											
बैठने की क्षमता - 30 से अधिक यात्री	2																											
<b>स्लीपर बसें</b>																												
स्लीपर बस (लंबाई < 12 मीटर)	2																											
स्लीपर बस (लंबाई > 12 मीटर)	3																											
3.10	विनिर्दिष्ट करें कि आपातकालीन निकास द्वार का खुलना स्वचालित है या मैनुअल (यदि मैनुअल है, तो क्या यह यात्रियों के लिए सुलभ है या नहीं)।																											
3.11	एआईएस के प्रावधान के अनुसार सर्विस डोर के ठीक सामने एक आपातकालीन दरवाजा (ऑडियो और विजुअल अलर्ट सेंसर सहित) उपलब्ध कराया जाएगा। तालिका के अनुसार विनिर्दिष्ट करें:	सा.का.नि. 287 (अ) दिनांक 22.04.2014 एवं सा.का.नि. 895 (अ) दिनांक 20.09.2016																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">सर्विस डोर का अवस्थान</th> <th colspan="4">आपातकालीन द्वार का स्थान #</th> </tr> <tr> <th>सामने का आधा भाग</th> <th>मध्य</th> <th>पिछला आधा भाग</th> <th>पिछला भाग</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>सामने का आधा भाग</td> <td></td> <td>.</td> <td>.</td> <td>. *</td> </tr> <tr> <td>मध्य</td> <td>.</td> <td>.</td> <td>.</td> <td>. *</td> </tr> <tr> <td>पिछला आधा भाग</td> <td>.</td> <td>.</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p># यदि बस के एक तरफ सर्विस डोर उपलब्ध है, तो आपातकालीन दरवाजा उसके विपरीत दिशा में होना चाहिए। * फ्रंट इंजन और इलेक्ट्रिक बसों पर लागू * रियर इंजन बसों के मामले में निषिद्ध * स्लीपर बसों के मामले में आपातकालीन दरवाजा प्रवेश पथ के साथ होना चाहिए।</p>		सर्विस डोर का अवस्थान	आपातकालीन द्वार का स्थान #				सामने का आधा भाग	मध्य	पिछला आधा भाग	पिछला भाग	सामने का आधा भाग		.	.	. *	मध्य	.	.	.	. *	पिछला आधा भाग	.	.					
सर्विस डोर का अवस्थान	आपातकालीन द्वार का स्थान #																											
	सामने का आधा भाग	मध्य	पिछला आधा भाग	पिछला भाग																								
सामने का आधा भाग		.	.	. *																								
मध्य	.	.	.	. *																								
पिछला आधा भाग	.	.																										

3.12	क्या आपातकालीन द्वार और निकास द्वार तक पहुंच निर्बाध है, और क्या कोई लोहे/स्टील की छड़, कोण, सीट या भौतिक संरचना पहुंच या संचालन को प्रतिबंधित नहीं कर रही है?	सा.का.नि. 287 (अ) दिनांक 22.04.2014																														
3.13	ले-आउट के अनुसार और निर्बाध प्रवेश पथ की चौड़ाई का सत्यापन किया गया है। विनिर्दिष्ट करें:	सा.का.नि. 287 (अ) दिनांक 22.04.2014 एवं एआईएस- 119 (संशोधन 1): 2016																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>प्रवेश पथ</th> <th>निचला सिलेंडर</th> <th>ऊपरी सिलेंडर</th> <th>ऊंचाई</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>मिनी मिडी (नॉन-स्टैंडी)</td> <td>300</td> <td>450</td> <td>1500</td> </tr> <tr> <td>मिनी मिडी (स्टैंडी)</td> <td>350</td> <td rowspan="3">550</td> <td>1750</td> </tr> <tr> <td>टाइप I</td> <td>450</td> <td rowspan="3">1900</td> </tr> <tr> <td>टाइप II</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>टाइप III</td> <td>300</td> <td>450</td> </tr> <tr> <td>स्लीपर बस</td> <td colspan="2">550</td> <td></td> </tr> <tr> <td>स्कूल बस</td> <td colspan="3">टाइप I / II / III में से कोई भी</td> </tr> </tbody> </table>				प्रवेश पथ	निचला सिलेंडर	ऊपरी सिलेंडर	ऊंचाई	मिनी मिडी (नॉन-स्टैंडी)	300	450	1500	मिनी मिडी (स्टैंडी)	350	550	1750	टाइप I	450	1900	टाइप II	350	टाइप III	300	450	स्लीपर बस	550			स्कूल बस	टाइप I / II / III में से कोई भी		
प्रवेश पथ	निचला सिलेंडर				ऊपरी सिलेंडर	ऊंचाई																										
मिनी मिडी (नॉन-स्टैंडी)	300				450	1500																										
मिनी मिडी (स्टैंडी)	350				550	1750																										
टाइप I	450					1900																										
टाइप II	350																															
टाइप III	300				450																											
स्लीपर बस	550																															
स्कूल बस	टाइप I / II / III में से कोई भी																															
3.14	आपातकालीन प्रकाश व्यवस्था की गई थी और वह कार्यशील पाई गई। (बिजली जाने के बाद लगभग 30 मिनट।)																															
3.15	गलियारे के किनारों पर फ्लोरोसेंट टेप से निशान लगाए गए हैं – हाँ / नहीं																															
3.16	ड्राइवर के कार्यक्षेत्र और यात्री डिब्बे के बीच कोई विभाजन नहीं है – हाँ / नहीं																															
3.17	सीटों के पास और निकास द्वारों पर आपातकालीन (पैनिक) बटन उपलब्ध कराए गए हैं – हाँ / नहीं																															
3.18	रूप रैक मौजूद है या नहीं?	सा.का.नि. 287 (अ) दिनांक 22.04.2014																														
3.19	मल्टीप्लेक्सिंग/इलेक्ट्रॉनिक संरचना (फ्यूज़ और रिले से सुसज्जित विद्युत तार)	सा.का.नि. 287 (अ) दिनांक 22.04.2014																														

3.20	वाहन में एसी टाइप अनुमोदन लेआउट के अनुसार है या निर्माण के दौरान अतिरिक्त रूप से लगाया गया है। (यदि हां, तो फिटमेंट का अवस्थान) विनिर्दिष्ट करें:	सा.का.नि. 287 (अ) दिनांक 22.04.2014										
	<table border="1"> <tr> <td>स्थान</td> <td>छत</td> <td>अधोभाग (अंडर बॉडी)</td> <td>सामान रखने की जगह (कंपार्टमेंट)</td> </tr> </table>	स्थान	छत	अधोभाग (अंडर बॉडी)	सामान रखने की जगह (कंपार्टमेंट)							
स्थान	छत	अधोभाग (अंडर बॉडी)	सामान रखने की जगह (कंपार्टमेंट)									
3.21	वाहन के सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए चालक की दृष्टि बाधा रहित हो।	सा.का.नि. 287 (अ) दिनांक 22.04.2014										
3.22	बस में प्रवेश/निकास और सामान ले जाने के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची											
3.23	सीट और बर्थ ले-आउट विनिर्दिष्ट करें:	सा.का.नि. 287 (अ) दिनांक 22.04.2014 एवं एआईएस- 119 (संशोधन 1): 2016										
	<table border="1"> <tr> <td>ले-आउट</td> <td>2X1</td> <td>1X2</td> <td>स्लीपर</td> </tr> <tr> <td>क्षमता</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ले-आउट	2X1	1X2	स्लीपर	क्षमता						
ले-आउट	2X1	1X2	स्लीपर									
क्षमता												

**प्रमाणित किया जाता है कि**

(क) उपर्युक्त वाहन का निरीक्षण केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 (केंद्रीय मोटर यान नियमावली) और उपर्युक्त मदों के सामने उल्लिखित लागू एआईएस मानकों के संदर्भ में किया गया है, और इसे रिकॉर्ड के अनुसार अनुपालन  /गैर-अनुपालन  पाया गया है।

(ख) जांच सूची (i) फॉर्म -20ग के अनुसार मूल उपकरण निर्माता (बस चेसिस) और (ii) फॉर्म -20घ के अनुसार बस बॉडी निर्माताओं की जांच की गई है और वे सही पाई गई हैं।

नाम, पदनाम और हस्ताक्षर

निर्माता/ मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) के अधिकृत प्रतिनिधि

नाम, पदनाम और मुहर सहित हस्ताक्षर

संबंधित प्राधिकारी (आरटीओ)

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th June, 2026

**G.S.R. 541(E).**— The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Additional Secretary (MVL, Transport & Road Safety), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001 or on the email: comments-morth@gov.in;

**Draft Rules**

1. Short title and commencement. — (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (..... Amendment) Rules, 2026.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989 (hereinafter referred to as the said rules in rule 47, in sub-rule (1), in item (v), after sub-item (n), the following shall be inserted, namely:

“(o) On and after 1<sup>st</sup> July 2026, every Original Equipment Manufacturer who manufactures chassis/incompletely built vehicles of Category M2 and M3 with seating capacity of 13 or more passengers excluding driver, shall additionally submit a pre-dispatch checklist duly authorized, in accordance with Form 20-C.

(p) On and after 1<sup>st</sup> July 2026, every Bus Body builder who builds buses on chassis/incompletely built vehicles of Category M2 and M3 with seating capacity of 13 or more passenger excluding driver, which the Original Equipment Manufacturer manufactures, shall submit a pre-dispatch checklist duly authorized, in accordance with Form 20-D.

(q) For the purposes of sub-items (o) and (p), each critical safety component at the level of the chassis and the bus body shall be certified by the Original Equipment Manufacturer and the accredited bus body builder, as the case may be, through a template-based video, in such manner as may be prescribed in the applicable standards.”

3. In the said rules, in rule 48-B, after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:

“Provided further that on and after 1<sup>st</sup> July 2026, for the purpose of registration of vehicles of Category M2 and M3 with seating capacity 13 or more passenger excluding driver, at the time of inspection as stated in this rule, the RTO or his authorized inspection officer in the Transport Department shall fill the checklist duly in accordance with Form 20-E.”

[F. No. RT-11036/163/2025-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section(i) vide G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and lastly amended vide G.S.R. ....(E) dated the .....

**Form No: 20-C**

(See Rule 47)

**Pre-dispatch Checklist for Original Equipment Manufacturers (Bus Chassis)**

Comprehensive Guidelines for Verification of Bus Chassis by OEMs as per MV Act, 1988 and CMVR, 1989.

**OEM:****State:****Position of Engine / Traction Battery :****Date:****Type of Chassis:****Chassis No:****Checks to verify the Bus Safety Compliance as mentioned:**

1.0	General Information	
1.1	Name and Address of the Registered office of the OEM	
1.2	Accreditation Certificate No. and Validity of the OEM.	
1.3	Location of OEM Manufacturing Facility	
1.4	Type Approval Certificate No	
1.5	Engine Manufacturer	
1.6	Engine No.	
1.8	Wheel Base	

2.0	Items for Verification	Reference	Compliance (Yes/No)	Remarks, if any:
2.1	Dimensions of chassis Specify: L x W x H (in meters) (Whether any alteration in chassis made by OEM)	Rule 93 of CMVR, 1989		
2.2	Light & Signaling devices vii) Headlamp viii) Tail Lamp ix) Parking lamp x) Reverse lamp xi) Side indicators xii) Retro-reflector and Reflective tape (Any additional lamp fitted, if so, details)	Rule 102 of CMVR, 1989		
2.3	Valid type approval of Chassis as per AIS-052 (Rev.1)	Rule 125-C of CMVR, 1989		
3.0	<b>Inspection Requirement</b>			
3.1	Electronic Vehicle Stability Control System (EVSC)	AIS:150		

2.0	Items for Verification	Reference	Compliance (Yes/No)	Remarks, if any:
3.2	Endurance Brake Fitment (Retarder)	IS 11852:2013		
3.3	Fire Detection Alarm (FDAS) and Suppression System (FDSS)	AIS:135 AIS:153		
3.4	Fire alarm and Protection System in the occupant compartment (FAS / FPS) (Applicable to Type III buses of Category M3 and School Buses)	AIS:135		
3.5	Multiplexing/Electronic architecture	AIS:153		
3.6	Whether the Chassis fitted with the air conditioning system.			

*Certified that the above Chassis has been manufactured with reference to CMVR, 1989 and applicable AIS standards, and the provisions verified above have been found*

*Compliant  / non-compliant  as recorded.*

Name of the Authorised representative of the Chassis Manufacturer/OEM:.....

Designation .....

Signature .....

**Form No: 20-D**

(See Rule 47)

**Pre-delivery Checklist for Bus Body Builders**

**Comprehensive Guidelines for Verification of Buses by Body Builders before delivering to the customer, as per MV Act, 1988 and CMVR, 1989.**

**Body Builder Name:****Date:****Chassis Manufacture:****State:****Temp. Registration No:****Chassis No:****Checks to verify the Bus Safety Compliance:**

1.	General Information	
1.1	Name and Address of the Registered Office of the Bus Body Builder/OEM	
1.2	Accreditation Certificate No. and Validity of the Body Builder	
1.3	Location of Body Builder Facility	
1.4	NOC details (Applicable for Old Chassis and reconstruction)	
1.5	Type Approval Certificate No with Date	
1.6	Variant No. and Variant Name as per Type Approval Certificate	

	Items for Verification	Reference	Compliance (Yes/No)	Remarks if any:
2.1	Bus dimension - Specify: L x W x H (in meters) (Whether any alteration in the chassis made by OEM)	Rule 93 of CMVR, 1989		
2.2	Light & Signalling devices i) Headlamp ii) Tail Lamp iii) Parking lamp iv) Reverse lamp v) Side indicators vi) Retro-reflector and Reflective tape (Any other additional lamp fitted, if so, details)	Rule 102 of CMVR, 1989		
2.3	Whether approval of the layout drawings obtained by the Testing agency.	Rule 125-C of CMVR, 1989		
3.	<b>Document/ Drawing/Checks</b>			

	Items for Verification	Reference	Compliance (Yes/No)	Remarks if any:								
3.1	One Fire extinguisher provided near driver's seat and found serviceable. (Min. 4 Kg) (Check validity and fitness of cylinder)	G.S.R. 895 (E) dated 20.09.2016										
3.2	One Fire extinguisher provided in the passenger compartment and found serviceable. (Min.6 kg) (Check validity and fitness of cylinder)	G.S.R. 895 (E) dated 20.09.2016										
3.3	Fire Detection and Alarm System (FDAS) and found operational  <b>Specify:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Fitted with chassis</td> <td style="width: 33%;">Provided with the chassis, but installed by the builder</td> <td style="width: 33%;">Not provided with the chassis and fitted by the body builder</td> </tr> </table>	Fitted with chassis	Provided with the chassis, but installed by the builder	Not provided with the chassis and fitted by the body builder	G.S.R. 337 (E) dated 28.03.2019							
Fitted with chassis	Provided with the chassis, but installed by the builder	Not provided with the chassis and fitted by the body builder										
3.4	Fire Detection and Suppression System (FDSS) provided and found operational, wherever applicable (If not, check the requirement as per the Type of Bus)  <b>Specify:</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Fitted with chassis</td> <td style="width: 33%;">Provided with the chassis, but installed by the builder</td> <td style="width: 33%;">Not provided with the chassis and fitted by the body builder</td> </tr> </table>	Fitted with chassis	Provided with the chassis, but installed by the builder	Not provided with the chassis and fitted by the body builder	G.S.R. 337 (E) dated 28.03.2019							
Fitted with chassis	Provided with the chassis, but installed by the builder	Not provided with the chassis and fitted by the body builder										
3.5	Fire Alarm System in Occupant Compartment and Fire Protection System in Occupant Compartment (If not, check the requirement as per the Type of Bus)											
3.6	Fire alarm audible and visible inside the occupant compartment	G.S.R. 337 (E) dated 28.03.2019										
3.7	Minimum number of emergency exits (Specify numbers) For information:  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Type of Bus</th> <th style="width: 40%;">Min. No. of Emergency Exits</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mini and Midi Capacity Bus</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Standard and High Capacity Bus</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sleeper Bus (Length &lt; 12M)</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	Type of Bus	Min. No. of Emergency Exits	Mini and Midi Capacity Bus	1	Standard and High Capacity Bus	2	Sleeper Bus (Length < 12M)	4	G.S.R. 287 (E) dated 22.04.2014 & G.S.R. 895 (E) dated 20.09.2016		
Type of Bus	Min. No. of Emergency Exits											
Mini and Midi Capacity Bus	1											
Standard and High Capacity Bus	2											
Sleeper Bus (Length < 12M)	4											

	Items for Verification	Reference	Compliance (Yes/No)	Remarks if any:														
	<table border="1"> <tr> <td>Sleeper Bus (Length &gt; 12M)</td> <td>5</td> </tr> </table>	Sleeper Bus (Length > 12M)	5															
Sleeper Bus (Length > 12M)	5																	
3.8	Dimensions of Emergency Exits without any obstruction  Specify: <table border="1"> <tr> <td>No. of Exits</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Size (W x H)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	No. of Exits				Size (W x H)												
No. of Exits																		
Size (W x H)																		
3.9	Whether emergency exits can be operated from inside or outside of the Bus																	
3.10	Emergency hammer at each berth shall be provided and found accessible  Specify: <table border="1"> <tr> <td>No. of Exits</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No. of Hammers</td> <td></td> </tr> </table>	No. of Exits		No. of Hammers		G.S.R. 287 (E) dated 22.04.2014												
No. of Exits																		
No. of Hammers																		
3.11	Provision of Escape Hatches  Specify as per table: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Min. No. of Escape Hatches</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Type II and Type III Buses</b></td> </tr> <tr> <td>Seating Capacity - 23 to 30 Passengers</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Seating Capacity - More than 30 Passengers</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Sleeper Buses</b></td> </tr> <tr> <td>Sleeper Bus (Length &lt; 12M)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sleeper Bus (Length &gt; 12M)</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>		Min. No. of Escape Hatches	<b>Type II and Type III Buses</b>		Seating Capacity - 23 to 30 Passengers	1	Seating Capacity - More than 30 Passengers	2	<b>Sleeper Buses</b>		Sleeper Bus (Length < 12M)	2	Sleeper Bus (Length > 12M)	3	G.S.R. 287 (E) dated 22.04.2014 & G.S.R. 895 (E) dated 20.09.2016		
	Min. No. of Escape Hatches																	
<b>Type II and Type III Buses</b>																		
Seating Capacity - 23 to 30 Passengers	1																	
Seating Capacity - More than 30 Passengers	2																	
<b>Sleeper Buses</b>																		
Sleeper Bus (Length < 12M)	2																	
Sleeper Bus (Length > 12M)	3																	
3.12	Specify whether escape hatches are accessible and instruction to open escape hatches are provided.																	
3.13	Emergency door provided in accordance with applicable AIS provisions. (along with sensor of audio & visual alerts)	G.S.R. 287 (E) dated 22.04.2014 &																

	Items for Verification	Reference	Compliance (Yes/No)	Remarks if any:																													
	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Location of Service Door</td> <td colspan="4">Location of Emergency Door#</td> </tr> <tr> <td>Front Half</td> <td>Middle</td> <td>Rear Half</td> <td>Rear Face</td> </tr> <tr> <td>Front Half</td> <td></td> <td>ü</td> <td>ü</td> <td>ü*</td> </tr> <tr> <td>Middle</td> <td>ü</td> <td>ü</td> <td>ü</td> <td>ü*</td> </tr> <tr> <td>Rear Half</td> <td>ü</td> <td>ü</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p># Emergency door shall be on the opposite side of the service door when provided on side of the bus.</p> <p>* Applicable to front Engine and Electric Buses</p> <p>* Prohibited in case of rear engine buses</p> <p>* Emergency door shall be along the gangway in case of sleeper buses</p>	Location of Service Door	Location of Emergency Door#				Front Half	Middle	Rear Half	Rear Face	Front Half		ü	ü	ü*	Middle	ü	ü	ü	ü*	Rear Half	ü	ü			G.S.R. 895 (E) dated 20.09.2016							
Location of Service Door	Location of Emergency Door#																																
	Front Half	Middle	Rear Half	Rear Face																													
Front Half		ü	ü	ü*																													
Middle	ü	ü	ü	ü*																													
Rear Half	ü	ü																															
3.14	Dimensions of Emergency Door:  <b>Specify:</b> <table border="1"> <tr> <td>W x H</td> <td></td> </tr> </table>	W x H		G.S.R. 287 (E) dated 22.04.2014 & AIS-153																													
W x H																																	
3.15	Whether Emergency door and Exits access is unobstructed/ structure restricting access or operation.	G.S.R. 287 (E) dated 22.04.2014																															
3.16	Gangway width verification as per the layout and unobstructed  <b>Specify:</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gangway</th> <th>Lower Cylinder</th> <th>Upper Cylinder</th> <th>Height</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mini Midi (Non-Standee)</td> <td>300</td> <td>450</td> <td>1500</td> </tr> <tr> <td>Mini Midi (Standee)</td> <td>350</td> <td rowspan="3">550</td> <td>1750</td> </tr> <tr> <td>Type I</td> <td>450</td> <td rowspan="2">1900</td> </tr> <tr> <td>Type II</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>Type III</td> <td>300</td> <td>450</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sleeper Bus</td> <td colspan="2">550</td> <td></td> </tr> <tr> <td>School Bus</td> <td colspan="3">Any of Type I / II / III</td> </tr> </tbody> </table>	Gangway	Lower Cylinder	Upper Cylinder	Height	Mini Midi (Non-Standee)	300	450	1500	Mini Midi (Standee)	350	550	1750	Type I	450	1900	Type II	350	Type III	300	450		Sleeper Bus	550			School Bus	Any of Type I / II / III			G.S.R. 287 (E) dated 22.04.2014 & AIS-119 (Rev 1): 2016		
Gangway	Lower Cylinder	Upper Cylinder	Height																														
Mini Midi (Non-Standee)	300	450	1500																														
Mini Midi (Standee)	350	550	1750																														
Type I	450		1900																														
Type II	350																																
Type III	300	450																															
Sleeper Bus	550																																
School Bus	Any of Type I / II / III																																
3.17	Emergency lighting was provided and found to be functional. (Approx. 30 minutes after power cutoff.)																																

	Items for Verification	Reference	Compliance (Yes/No)	Remarks if any:								
3.18	Gangway edges marked with fluorescent tape in case of sleeper buses – Yes / No											
3.19	No partition between driver's work area and Passenger compartment in case of sleeper buses – Yes / No											
3.20	Panic buttons provided near seats and at exits – Yes / No											
3.21	Whether Roof Luggage Carrier is Present/Not present	G.S.R. 287 (E) dated 22.04.2014										
3.22	Multiplexing/Electronic architecture (Electrical wiring fitted with Fuses and a relay)	G.S.R. 287 (E) dated 22.04.2014										
3.23	AC in the vehicle as per the type approval layout or additionally placed during construction. (if so, location of fitment) Specify: <table border="1" data-bbox="252 891 901 969"> <thead> <tr> <th>Location</th> <th>Roof</th> <th>Under body</th> <th>Luggage compartment</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Location	Roof	Under body	Luggage compartment					G.S.R. 287 (E) dated 22.04.2014		
Location	Roof	Under body	Luggage compartment									
3.24	The driver's field of vision is unobstructed to ensure safe operation of the vehicle.	G.S.R. 287 (E) dated 22.04.2014										
3.25	List of Prohibited Goods at Entry/Exit and Luggage of Buses											
3.26	No. of Seats and Berths available  Seating Capacity Sleeper Capacity Layout	G.S.R. 287 (E) dated 22.04.2014 & AIS-119 (Rev 1): 2016										

*Certified that the above vehicle has been inspected with reference to CMVR, 1989 and applicable AIS standards and the provisions verified above have been found*

*compliant  / non-compliant  as recorded.*

Name of the Authorised representative of the Bodybuilder:.....

Designation .....

Signature .....

Form No: 20-E

(See Rule 48-B)

**Pre-registration checklist of M2 and M3 Category vehicles**

**Comprehensive Guideline for Verification of Buses by RTOs during Pre-Registration and Periodic Fitness Inspection for Intercity / Sleeper Buses as per MV Act, 1988 and CMVR,1989.**

RTO:

State:

Place:

Date:

Type of Bus (II, III, IV):

Seating/Sleeper Capacity:

Checks to verify Bus Safety Compliance:

<b>1 General Information</b>				
1.1	Name and Address of the Registered Office of the Applicant/ Bus Body Builder/OEM			
1.2	Accreditation Certificate No and Validity of the Body builder.			
1.3	Location of Body Builder Facility			
1.4	NOC details (Applicable for Old Buses and Re-registration)			
<b>2</b>	<b>Items for Verification</b>	<b>Reference</b>	<b>Compliance (Yes/No)</b>	<b>Remarks if any:</b>
2.1	Bus dimension as per chassis specifications- Specify: L x W x H (in meters) (Whether any alteration in the Chassis made by the OEM)	Rule 93 of CMVR,1989		
2.2	Light & Signalling devices vii) Headlamp viii) Tail Lamp ix) Parking lamp x) Reverse lamp xi) Side indicators xii) Retro- reflector and Reflective tape (Any additional lamp fitted, If so, details)	Rule 102 of CMVR,1989		
2.3	Whether approval of the layout drawings obtained	Rule 125-C of CMVR,1989		
<b>3.</b>	<b>Document/ Drawing/Checks</b>			
3.1	One Fire extinguisher provided near driver's seat and found serviceable. (Min. 4 Kg) (Check validity and fitness of cylinder)	G.S.R. 895 (E) dated 20.09.2016		
3.2	One Fire extinguisher provided in the passenger compartment and found serviceable. (Min.6 kg)	G.S.R. 895 (E) dated 20.09.2016		

	(Check validity and fitness of cylinder)													
3.3	Fire Detection and Alarm System (FDAS) and found operational	G.S.R 337 (E) dated 28..03.2019												
3.4	Fire Detection and Suppression System (FDSS) provided and found operational, wherever applicable (If not, check the requirement as per the Type of Bus)	G.S.R 337 (E) dated 28..03.2019												
3.5	Fire Alarm System in Occupant Compartment and Fire Protection System in Occupant Compartment (If not, check the requirement as per the Type of Bus)													
3.5	Fire alarm audibles and visible inside occupant compartment	G.S.R 337 (E) dated 28..03.2019												
3.6	<p>Minimum number of emergency exits provided as per bus length and type (Specify the number)</p> <p>For information:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Type of Bus</th> <th>Min. No. of Emergency Exits</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mini and Midi Capacity Bus</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Standard and High Capacity Bus</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sleeper Bus (Length &lt; 12M)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Sleeper Bus (Length &gt; 12M)</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table>	Type of Bus	Min. No. of Emergency Exits	Mini and Midi Capacity Bus	1	Standard and High Capacity Bus	2	Sleeper Bus (Length < 12M)	4	Sleeper Bus (Length > 12M)	5	<p>G.S.R. 287 (E) dated 22.04.2014</p> <p>&amp;</p> <p>G.S.R. 895 (E) dated 20.09.2016</p>		
Type of Bus	Min. No. of Emergency Exits													
Mini and Midi Capacity Bus	1													
Standard and High Capacity Bus	2													
Sleeper Bus (Length < 12M)	4													
Sleeper Bus (Length > 12M)	5													
3.7	Whether emergency exits can be operated from inside or outside of the bus	G.S.R. 287 (E) dated 22.04.2014												
3.8	Emergency hammer at each berth shall be provided and found accessible													
3.9	<p>Minimum two escape hatches provided and found operable.</p> <p>Specify as per table :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Min. No. of Escape Hatches</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Type II and Type III Buses</b></td> </tr> <tr> <td>Seating Capacity - 23 to 30 Passengers</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Seating Capacity - More than 30 Passengers</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Sleeper Buses</b></td> </tr> </tbody> </table>		Min. No. of Escape Hatches	<b>Type II and Type III Buses</b>		Seating Capacity - 23 to 30 Passengers	1	Seating Capacity - More than 30 Passengers	2	<b>Sleeper Buses</b>		<p>G.S.R. 287 (E) dated 22.04.2014</p> <p>&amp;</p> <p>G.S.R. 895 (E) dated 20.09.2016</p>		
	Min. No. of Escape Hatches													
<b>Type II and Type III Buses</b>														
Seating Capacity - 23 to 30 Passengers	1													
Seating Capacity - More than 30 Passengers	2													
<b>Sleeper Buses</b>														

	<table border="1"> <tr> <td>Sleeper Bus (Length &lt; 12M)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Sleeper Bus (Length &gt; 12M)</td> <td>3</td> </tr> </table>	Sleeper Bus (Length < 12M)	2	Sleeper Bus (Length > 12M)	3																							
Sleeper Bus (Length < 12M)	2																											
Sleeper Bus (Length > 12M)	3																											
3.10	Specify whether opening of Escape Hatches is Automatic or Manual (If manual, then accessibility to the occupants or not)																											
3.11	<p>Emergency door shall be provided opposite to service door as per AIS provision (along with sensor of audio &amp; visual alerts)</p> <p>Specify as per table :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Location of Service Door</th> <th colspan="4">Location of Emergency Door#</th> </tr> <tr> <th>Front Half</th> <th>Middle</th> <th>Rear Half</th> <th>Rear Face</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Front Half</td> <td></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/>*</td> </tr> <tr> <td>Middle</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/>*</td> </tr> <tr> <td>Rear Half</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p># Emergency door shall be on the opposite side of the service door when provided on side of the bus.</p> <p>* Applicable to front Engine and Electric Buses</p> <p>* Prohibited in case of rear engine buses</p> <p>* Emergency door shall be along the gangway in case of sleeper buses</p>	Location of Service Door	Location of Emergency Door#				Front Half	Middle	Rear Half	Rear Face	Front Half		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> *	Middle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> *	Rear Half	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<p>G.S.R. 287 (E) dated 22.04.2014</p> <p>&amp;</p> <p>G.S.R. 895 (E) dated 20.09.2016</p>		
Location of Service Door	Location of Emergency Door#																											
	Front Half	Middle	Rear Half	Rear Face																								
Front Half		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> *																								
Middle	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> *																								
Rear Half	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																										
3.12	Whether Emergency door and Exits access is unobstructed, with no iron/steel rod, angle, seat, or body structure restricting access or operation.	G.S.R. 287 (E) dated 22.04.2014																										
3.13	<p>Gangway width verification as per the layout and unobstructed</p> <p>Specify:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Gangway</th> <th>Lower Cylinder</th> <th>Upper Cylinder</th> <th>Height</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mini Midi (Non-Standee)</td> <td>300</td> <td>450</td> <td>1500</td> </tr> <tr> <td>Mini Midi (Standee)</td> <td>350</td> <td rowspan="2">550</td> <td>1750</td> </tr> <tr> <td>Type I</td> <td>450</td> <td>1900</td> </tr> </tbody> </table>	Gangway	Lower Cylinder	Upper Cylinder	Height	Mini Midi (Non-Standee)	300	450	1500	Mini Midi (Standee)	350	550	1750	Type I	450	1900	<p>G.S.R. 287 (E) dated 22.04.2014</p> <p>&amp;</p> <p>AIS-119 (Rev 1): 2016</p>											
Gangway	Lower Cylinder	Upper Cylinder	Height																									
Mini Midi (Non-Standee)	300	450	1500																									
Mini Midi (Standee)	350	550	1750																									
Type I	450		1900																									

	<table border="1"> <tr> <td>Type II</td> <td>350</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Type III</td> <td>300</td> <td>450</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sleeper Bus</td> <td colspan="2">550</td> <td></td> </tr> <tr> <td>School Bus</td> <td colspan="3">Any of Type I / II / III</td> </tr> </table>	Type II	350			Type III	300	450		Sleeper Bus	550			School Bus	Any of Type I / II / III					
Type II	350																			
Type III	300	450																		
Sleeper Bus	550																			
School Bus	Any of Type I / II / III																			
3.14	Emergency lighting was provided and found to be functional. (Approx.. 30 Min. After Power cutoff.)																			
3.15	Gangway edges marked with fluorescent tape – Yes / No																			
3.16	No partition between driver's work area and Passenger compartment – Yes / No																			
3.17	Panic buttons provided near seats and at exits – Yes / No																			
3.18	Whether Roof Luggage is Present / Not Present	G.S.R. 287 (E) dated 22.04.2014																		
3.19	Multiplexing/Electronic architecture  (Electrical wiring fitted with Fuses and a relay)	G.S.R. 287 (E) dated 22.04.2014																		
3.20	AC in the vehicle as per the type approval layout or additionally placed during construction. (if so, Location of fitment) Specify:  <table border="1"> <tr> <td><b>Location</b></td> <td>Roof</td> <td>Under body</td> <td>Luggage compartment</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	<b>Location</b>	Roof	Under body	Luggage compartment					G.S.R. 287 (E) dated 22.04.2014										
<b>Location</b>	Roof	Under body	Luggage compartment																	
3.21	The driver's field of vision is unobstructed to ensure safe operation of the vehicle.	G.S.R. 287 (E) dated 22.04.2014																		
3.22	List of Prohibited Goods at Entry/Exit and Luggage of Bus																			
3.23	Seat and Berth layout  Specify:  <table border="1"> <tr> <td>Layout</td> <td>2X1</td> <td>1X2</td> <td>Sleeping</td> </tr> <tr> <td>Capacity</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Layout	2X1	1X2	Sleeping	Capacity				G.S.R. 287 (E) dated 22.04.2014  & AIS-119 (Rev 1): 2016										
Layout	2X1	1X2	Sleeping																	
Capacity																				

***Certified that***

***(a) The above vehicle has been inspected with reference to the Central Motor Vehicle Rules, 1989 (CMVR) and applicable AIS Standards mentioned against the items above, which have been found Compliant  / Non-Compliant  , as recorded***

***(b) The Checklists (i) the Original Equipment Manufacturer (bus chassis) as per Form -20C, and (ii) the bus body builder, as per Form -20D, have been verified and found to be in order.***

Name designation & Signature of the  
Authorized representative of builder/OEM

Name designation & Signature with Seal  
of Concerned authority (RTO)